IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

कानपुर देहात में प्राथमिक षिक्षा की दषा एवं दिषा

अर्चना देवी[1], डॉ. अजय कुमार यादव[2], डॉ. रामप्रताप सैनी[3], डॉ रमाकान्त यादव

1. Research Scholar , shri J.J.T.U Jhunjhunu (Raj.)
2. Associate professor Department of Education , C.C.S.P.G.C. Heonra Etawah (U.P)
3. Associate professor Department of Education, J.J.T.U. Jhunjhunu (Raj.)
4. Associate professor Department of Education , C.C.S.P.G.C. Heonra Etawah (U.P)

ABSTRACT-: परिवर्तन एक सतत् प्रक्रिया है परन्तु परिवर्तन वांछनीय एवं सही दिशा में हो, इसके लिए एक नियोजित संगठित तथा सुचिंतित योजना का होना आवश्यक है। शिक्षा जगत के ज्यादातर परिवर्तन नियोजित होते है, जिन्हे ं देश के या संसार के बुद्धिजीवी समाजशास्त्री राजनीतिज्ञा आदि आवश्यक भावी परिवर्तन लाने के लिए आयोजित करते हैं। ओटाबे की परिभाषा इसी परिपेक्ष्य को इंगित करती है कि –''शिक्षा सुचिंतित एवं नियंत्रित प्रक्रिया है, जिसमे ं, व्यक्ति द्वारा व्यक्ति मे ं परिवर्तन लाया जाता है।'' संक्षेप मे ं यह कहना उचित होगा कि शिक्षा में जो भी परिवर्तन किए जाय वे अनुसंधान पर आधारित हो। किसी कल्पना अनुमान या मान्यता पर नहीं साथ ही उनमें निम्न विशेषताएँ होनी चाहिए–

1. देश की भावी शिक्षा में उद्देश्यो ं का निरूपण स्पष्ट रूप से हो।
2. योजना की समग्र रूप से क्रियान्वित से पूर्व, थोड़े से क्षेत्र पर परीक्षण किया जाय।
3. योजना मे ं उन सभी स्तर के व्यक्तियों का सहयोग लिया जाय जो योजना को लागू करेंगे।
4. योजना क्रियास्थिति मे ं मितव्ययता उपलब्ध संसाधनों के अधिकाधिक प्रयोग, नियमित मूल्यांकन एवं संशोधन को भी स्थान दिया जाना चाहिए।

इसी क्रम मे ं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक नियोजित प्रक्रिया के रूप मे ं प्रस्तुत किया गया। स्वतंत्रता के छः दशक पश्चात् बच्चो ं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का सपना ''बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009'' के रूप में साकार हुआ। इस अधिनियम के 1 अप्रैल, 2010 से लागू होने के पश्चात् 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अपने नजदीकी विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का कानून अधिकार मिल गया है। अधिनियम की विशेष बात यह है कि गरीब परिवारों के वे बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित है, के लए निजी विद्यालयों मे ं 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। विधि आयोग ने निजी विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चो ं के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत करने का सुझाव दिया था। यह विधेयक कैबिनेट द्वारा 2 जुलाई, 2009 को स्वीकृत किया गया, राज्य सभा ने इस बिल को 20 जुलाई, 2009 को व ला के सभा ने 4 अगस्त, 2009 को पारित किया तथा 26 जुलाई, 2009 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 27 अगस्त, 2009 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया है। संविधान निर्माता शिक्षा के अधिकार को मूल संविधान मे ं एक मूल अधिकार के रूप मे ं शामिल करना चाहते थे, परन्तु भारत की तत्कालीन परिस्थितियाँ इसके अनुकूल नहीं थी अतः उन्होंने इसे राज्य की नीति के निदेशक तत्वों मे ं अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत स्थान दिया तथा इसे राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया, जोकि न्यायालयों मे ं प्रवत ंनीय नहीं थे। संसद ने इस अधिकार की आवश्यकता को समझते हुए 2002 में संविधान क ं 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा नया अनुच्छेद 21–क जोड़कर इसे मूल

अधिकार के रूप में अध्याय–3 में शामिल कर प्रवर्तनीय बना दिया। उक्त अनुच्छेद–21क को संविधान में समाविष्ट करने के कारण अनुच्छेद 45 को भी संशोधित कर इस प्रकार किया गया– ''राज्य 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सभी बालकों के बाल्यकाल की देखभाल और शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए अवसर उपलब्ध करेगा'' इस प्रकार इस अनुच्छेद 45 में संशोधन द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना राज्य का दायित्व तय किया गया। उक्त दोनों संशोधन के साथ ही भाग–4 मूल कर्त्तव्यों में भी संशोधन कर अनुच्छेद 51(क) (ट) जोड़ा गया, जसके अनुसार, ''6वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता–पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षकों का यह कर्त्तव्य होगा कि उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा देने के साथ ही इसे नीति निदेशक तत्त्वों तथा मूल कर्त्तव्यों मे शामिल कर राज्य व अभिभावकों का कर्त्तव्य बनाया गया, किन्तु इन कर्त्तव्यों का पालन कराने के लिए कोई सकारात्मक साधन नहीं था अतः इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार, बच्चों के माता–पिता या संरक्षक सभी का दायित्व तय किया गया है तथा उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड का भी प्रावधान किया गया है। शिक्षा के अधिकार से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 21–क–86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 के पश्चात नया अनुच्छेद 21–क जोड़ा गया, जो यह उपबन्धित करता है कि ''राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करें 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबन्ध करेगा।'' अनुच्छेद 21ः कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार– राज्य अपनी सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम पाने, शिक्षा पाने तथा बेकारी, अनुच्छेद 46–समाज के दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि– राज्य जनता के दुर्बल वर्गों विशेषतया अनिसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियाँ को शिक्षा तथा अर्थसम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधीनियम 2009 से.

मुख्य प्रावधान–

- प्राथमिक शिक्षा में प्रथम कक्षा से आठवीं कक्षा तक की शिक्षा शामिल है।

- अनिवार्य शिक्षा– सरकार का दायित्व है कि– (प) 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाये। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य प्रवेश, उपसिति व शिक्षा की समाप्ति सुनिश्चित करें।

- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार व 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अपने नजदीकी सरकारी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा एवं पूर्ण करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा और इसके लिए उसे किसी प्रकार का शुल्क या अन्य खर्चे नहीं देने होंगे। व यदि 6 से 14 वर्ष आयु का कोई बच्चा किसी विद्यालय में प्रवेश न होने के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित है, तो उसे उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा और ऐसे बच्चे 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क शिक्षा पाने के अधिकारी होंगे। व बच्चों को प्रवेश के दौरान एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में (एक राज्य में या बाहर) स्थानान्तरण का अधिकार होगा तथा ऐसे स्थानान्तरण चाहने वाले बच्चों को उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक तत्काल स्थानान्तरण पत्र जारी करेगा और इस प्रक्रिया में किया गया विलम्ब अन्य विद्यालय में प्रवेश न देने के आधार नहीं माना जायेगा। स्थानानतरण पत्र जारी करने में विलम्ब करने वाला प्रधानाध्यापक या अन्य सम्बन्धित व्यक्ति जानबूझकर विलम्ब करने का दोषी पाये जाने पर उस पर लागू होने वाले सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए दायित्वाधीन होगा।

- सरकार, स्थानीय प्राधिकारी व माता–पिता का कर्त्तव्य– व इस अधिनियम के प्रावधानों के अग्रसरण में सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी अपने क्षेत्राधिकारी के भीतर जहाँ विद्यालय नहीं है, इस अधिनियम के प्रभावी होन के तीन वर्ष के भीतर अपने क्षेत्राधिकार की सीमाओं में विद्यालय स्थापित करेंगे। व केन्द्र सरकार–(अ) शैक्षिक प्राधिकारी की मदद से एक राष्ट्रीय इसका उल्लंघन करने पर कैपीटेशन फीस के दस गुना तक अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा। बच्चों का स्क्रीनिंग प्रक्रिया करने वाले को प्रथम उल्लंघन

पर 25000 रूपये का अर्थदण्ड तथा पश्चातवर्ती प्रत्येक उल्लंघन पर 50000 रूपये तक के अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा। व किसी भी विद्यालय में प्रवेश दिये गये बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले निष्कासित नहीं किया जायेगा। व किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक दण्ड देकर परेशान नहीं किया जायेगा तथा जो कोई इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, उस पर उसके सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। अधिनियम की कमियाँ व चुनाव– निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह अधिनियम पारित किया गया। इसके अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जायेगी, परन्तु अधिनियम के सूक्ष्म अवला ेकन से इसकी सफलता पर संदेह है, संक्षेप में अधिनियम की कमियाँ व सुझाव निम्न प्रकार है– बच्चो ं के अनुपात मे ं कक्षा–कक्ष की कमी,जिसके परिणामस्वरूप विद्यालयों को दो या तीन पारियो ं तक कक्षाएँ चलायो जाती हैं। पुराने विद्यालयों के भवन भी जर्जर अवस्था मे ं है, जो कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते है।

संदर्भ..

१. बिरजू भाई मांटेसरी शिक्षा पद्धति संस्कृत साहित्य दिल्ली **2000.**

२. मिश्र अमरीश आधुनिक शिक्षा का स्वरूप मिश्रा बुक डिपो इलाहाबाद **2012.**

३. वेद अलंकार सत्य काम शिक्षा सिद्धांत और समस्याएं राष्ट्र वाणी प्रकाशन दिल्ली **2002.**

४. पचौरी महावीर भारत में आधुनिक शिक्षा रजत प्रकाशन नई दिल्ली **2011.**

५. प्रसाद राजेंद्र भारतीय शिक्षा प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली **2011.**

६. पांडे बृजेश कुमार उच्च शिक्षा का परिदृश्य भारती पब्लिशर्स एवं हैंड इन डिस्ट्रीब्यूटर्स फैजाबाद **2013.**

७. पांडे राम सकल शिक्षा वर्तमान संदर्भ में विकल्प प्रकाशन इलाहाबाद **2011.**

८. कुमार नरेश राष्ट्रीय शिक्षा विकल्प प्रकाशन दिल्ली **2001.**

९. पाठक आरपी प्राचीन भारत में उच्च शिक्षक कनिष्क पब्लिक सर्च नई दिल्ली **2014.**

१०. वैश्य एलपी उच्च शिक्षा दशा व दिशा विश्व भारती पब्लिक पब्लिकेशन नई दिल्ली **2005.**